उत्तर प्रदेश शासन

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग,

पत्र संख्या 201 / 66–2006–134 अ0ग्रा0वि0वि0 / 06

लखनऊ : दिनाँक : 22 मई, 2006

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नक्सलप्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु, क्षेत्र में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा (प्राथमिक विद्यालय से इन्टर कालेज तक), अस्पतालों के निर्माण हेतु एक अवस्थापना योजना बनाई जायेगी। नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बनायी जाने योजना के लिये प्रदेश बजट से धनराशि की व्यवस्था की जायेगी तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा किया जायेगा। इस योजना के नीति निर्धारण, अनुश्रवण, समीक्षा तथा समन्वय हेतु निम्नानुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है :–

01–माननीय कृषि मंत्री जी, उ0प्र0शासन	अध्यक्ष
02–कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
03–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
04–प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
05–प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
06–प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
07–प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
08–प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
09–प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10–प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
11–प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
12–प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0	सदस्य
13–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
14–प्रमुख सचिव/सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन	संयोजक/सदस्य

उपर्युक्त समिति को नक्सलप्रभावित योजनाओं के चिन्हाकन, मूल्यांकन, समीक्षा तथा अनुश्रवण आदि करने से सम्बन्धित समस्त कार्य व अधिकार प्राप्त होंगे।

2– अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में समग्र ग्राम्य विकास योजना का कार्य भी संचालित किया जा रहा है। समग्र ग्राम्य विकास योजना के कार्यों के लिये भी समिति अधिकृत होगी जो प्रस्तावित कार्यों के लिये अधिकारों का प्रयोग करते हुये समय पर गॉवों के समग्र विकास के बारे में संतृप्तीकरण एवं मूल्यांकन तथा समीक्षा, अनुश्रवण आदि करने से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

3– समिति की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जायेंगी परन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार इस समिति की बैठक अनिवार्य होगी। समिति के निर्देश व निर्णय सभी सम्बन्धित विभागों, मण्डलायुक्तों, विभागाध्यक्षों तथा जिलाधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे। अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, योजना का समन्वयक विभाग होगा।

19/5/06

(डी0सी0लाखा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 20/ (1)/ – तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01– माननीय कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
02– माननीय मंत्री जी, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
03– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
04– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
05– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
06– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/ वित्त/ नियोजन/ ऊर्जा/ लोक निर्माण/ वन/ शिक्षा/ नगर विकास/ ग्राम्य विकास/ चिकित्सा/ सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
07– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
08– सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
09– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10– मण्डलायुक्त, मीरजापुर/ वाराणसी/ आजमगढ़/ गोरखपुर।
11– जिलाधिकारी, मीरजापुर/ सोनभद्र/ चन्दौली/ बलिया/ गाजीपुर/ मऊ/ देवरिया, कुशीनगर।
12– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर/ सोनभद्र/ चन्दौली/ बलिया/ गाजीपुर/ मऊ/ बलिया/ देवरिया/ कुशीनगर।
13– प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से

(विजय कुमार त्रिपाठी)
विशेष सचिव